संख्या-117/2023/2244/सैंतीस-2-2023-1(2)/2020

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 अक्टूबर, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-964/बजट/29(5)/30/13/2023-24, दिनांक-13.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0-21.95 लाख (रूपये इक्कीस लाख पच्चान्नबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा आवंटित आर.ई. संख्या RE-budget-1-132, दिनांक-11 अक्टूबर, 2023 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-117/2023/2244(1)/सैंतीस-2-2023-1(2)/2020, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।